संख्या 88- भू0क0 /18(1)/2007

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व विभाग

देहरादूनः दिनांक 14 नवम्बर, 2007

विषयः–मै0 सिक्योरिपैक्स पैकेजिंग प्रा0लि0 को तहसील रूड़की के ग्राम माधोपुर हजरतपुर में पैकेजिंग उद्योग हेतु कुल 1.588 है0 भूमि क्रय करने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0– 852/भूमि व्यवस्था–भू0क0 दिनांक 23–8–2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय मै0 सिक्योरिपैक्स पैकेजिंग प्रा0लि0 को पैकेजिंग उद्योग की स्थापना हेतु उत्तरांचल (उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15–1–2004 की धारा–154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत तहसील रूडकी के ग्राम माधोपुर हजरतपुर के गाटा खसरा संख्या 58म 3.1760 है0 का 1/2 भाग यानि 1.588 है0 भूमि के खातेदार श्री सफतैन अली पुत्र हनीफ निवासी ग्राम माधोपुर हजरतपुर के नाम वर्ग 1(क) संक्रमणीय भूमिधरी में दर्ज अभिलेख हैं, को उद्योग की स्थापना हेतु कुल 1.588 है0 भूमि क्रय करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैः–

1– क्रेता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2– क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा–129 के अन्तर्गत भूमिधरी से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3– क्रेता द्वारा क्रय की गयी भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया

.....(2)

जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गयी है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होंगें।

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6– शासन द्वारा दी गयी भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी एवं भूमि का कब्जा प्राप्त होने के 180 दिन की अवधि के भीतर निर्माण कार्य प्रारम्भ करना होगा।

7– इकाई द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग पैकेजिंग उद्योग की स्थापना के लिये किया जायेगा।

8– स्थापित किये जाने वाले उद्योग में उत्तराखण्ड मूल के बेरोगारों को न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक का रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

9– क्रय की जाने वाली भूमि का भू–उपयोग यदि औद्योगिक से भिन्न हो तो उसे नियमानुसार औद्योगिक में परिवर्तित कराकर शासन द्वारा निर्धारित नीति/मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत प्रचलित नियमों/मानकों एवं भवन उपविधियों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए औद्योगिक प्रयोजन हेतु भवन निर्माण का प्लान सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराने के पश्चात ही प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

10– प्रस्तावित इकाई के उत्पाद भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग) के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 7 जनवरी, 2003 में थ्रस्ट इण्डस्ट्री के एनेक्चर–2 में उल्लिखित थ्रस्ट उद्योग के क्रियाकलापों में सम्मिलित नहीं है अतः प्रस्तावित उत्पाद के घोषित/ अधिसूचित औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र से बाहर विनिर्माण पर इकाई को प्रोत्साहन पैकेज का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

.....(3)

11- प्रस्तावित उद्योग की स्थापना से पूर्व उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड तथा अग्निशमन विभाग से नियमानुसार स्वीकृति/अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा।

12- प्रस्तावित उद्योग की स्थापना के संदर्भ में वर्तमान में अनापत्ति मात्र भूमि क्रय व्यवस्था के संदर्भ में दी जा रही है।

13- भूमि क्रय के तत्काल उपरान्त उसका विधिवत् सीमांकन किया जायेगा।

14- अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त भूमि का अन्तरण/विक्रय अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी स्थिति में विक्रय की दशा के कारणों का उल्लेख करते हुए शासन की अनुमति प्राप्त की जायेगी।

15- उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लघंन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून
2- प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4- श्री नितिन वाधवा पुत्र श्री भीष्मलाल वाधवा, निवासी बी-379 न्यू फ्रैडस कलोनी, नई दिल्ली।
5- निदेशक एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बड़ोनी)
अनुसचिव।